

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :- रा0खा0आ0 (विविध) 04/2022 - 193
प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक:- 04.03.2022

विषय:- राज्य के सभी विद्यालयों में खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के सुरक्षित खाद्य और संतुलित आहार) विनियम-2020 के अनुपालन संबंधी प्राप्त आवेदन पत्र पर कार्रवाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि डॉ० लेनिन रघुवंशी, संस्थापक और संयोजक, मानवाधिकार जन निगरानी समिति के दिनांक-12.02.2022 का आवेदन आयोग को प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा राज्य के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में भारत के राजपत्र में दिनांक-04.09.2020 को प्रकाशित अधिसूचना 'खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के सुरक्षित खाद्य और संतुलित आहार) विनियम-2020' की कंडिका 3 एवं 4 में उल्लेखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः प्राप्त आवेदन पत्र की प्रति संलग्न कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

अनु० यथोक्त।

विश्वासभाजन

(संजय कुमार)

सदस्य सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।